राजस्थान सरकार

निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमाकः– प.5 (223) निपेवि/नियम/95 दिनांक

1. अतिरिक्त/संयुक्त निदेशक,
   पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग,
   क्षेत्रीय कार्यालय अजमेर/कोटा/जोधपुर/उदयपुर/बीकानेर (राज.)

2. समस्त जिला कोषाधिकारी
   राजस्थान

विषयः– राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 67 में परिवर्तन के संबंध में
प्रसंगः– इस विभाग का पत्र क्रमाक 1824–35 एच दिनांक 20.09.2012 एवं 1886–1935 एच दिनांक 05.10.2012

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत वित (नियम) विभाग के परिपत्र क्रमाक प.12(3) वित/नियम/2010 दिनांक 04.09.2012 द्वारा राज. सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 67 में संशोधन किया गया है इसके प्रावधान दिनांक 04.09.2012 से प्रभावी है ।

उक्त परिपत्र के संदर्भ में इस विभाग की एकल पत्रावली संख्या प.5 (223) निपेवि/नियम/95 प्रेषणांक 1848–एच दिनांक 05.10.2012 द्वारा वित्त विभाग से कुछ बिन्दुओं पर मार्गदर्शन चाहा गया था । वित्त (राजस्व) विभाग ने उनके पत्रांक प.10(6) वित्त/राजस्व/2010/पार्ट–1 दिनांक 10.12.2012 द्वारा वित्त (नियम) विभाग द्वारा बार कोड संख्या 321200656 दिनांक 04.12.2012 के अन्तर्गत प्रदत बिन्दुआर मार्गदर्शन इस विभाग को भिजवाया है जो निम्नानुसार हैं :–

क्र. सं.	प्रशन	उत्तर
1.	पेंशन विभाग द्वारा जिन पात्र परिजनों को पारिवारिक पेंशन अधिकृत कर दी गई थी किन्तु तत्कालीन प्रावधानों के अनुसार आयु/आय निर्घारित सीमा से अधिक होने के कारण कोषाधिकारी द्वारा भुगतान बन्द कर दिया था, उनसे वैवाहिक स्थिति एवं आय संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त कर उनकी पारिवारिक पेंशन का भुगतान कोषाधिकारी द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है या पेंशन विभाग के स्तर पर भी कोई कार्यवाही अपेक्षित है ?	जिन परिवारजनों की पारिवारिक पेंशन तत्कालीन प्रावधानों के अनुसार आयु/आय निर्धारित सीमा से अधिक होने के कारण कोषाधिकारी द्वारा भुगतान बन्द कर दिया गया था तथा अधिसूचना दिनांक 04.09.2012 के अनुसार पुनः पारिवारिक पेंशन के लिये पात्र हो गये हैं, उन्हें कोषाधिकारी द्वारा ही पारिवारिक पेंशन चालू की जा सकती है ।
2.	जिन मामलों में विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों की पारिवारिक पेंशन 25 वर्ष की आयु 2550/– रु. प्रतिमाह से अधिक आय होने के कारण बन्द हो गई थी तथा पेंशन विभाग द्वारा अन्य पात्र पुत्र/पुत्री के नाम पारिवारिक पेंशन अधिकृत कर	जिन मामलों में विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों की पारिवारिक पेंशन आयु/आय निर्धारित सीमा से अधिक होने के कारण बन्द हो गई थी तथा अन्य पात्र पुत्र/पुत्री के नाम पारिवारिक पेंशन अधिकृत कर दी है । ऐसे मामलों में

	दी गई थी किन्तु दिनांक 04.09.2012 से पूर्व उस पुत्र/पुत्री की पात्रता समाप्त होने के कारण पारिवारिक पेंशन बन्द हो गई है, क्या ऐसे मामलों में विधवा/तलाकशुदा पुत्री पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने की हकदार है तथा क्या उक्त परिस्थिति में उसे नियम 107 में वर्णित प्रकिया पुनः पूरी करनी होगी ?	विधवा/तलाकशुदा पुत्री अधिसूचना दिनांक 04.09.2012 के अनुसार वर्तमान में प्राप्त पारिवारिक पेंशनर के अप्रात्र होने पर ही विधवा/तलाकशुदा पुत्री को पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की जावे । इसके लिये विद्यमान पीपीओ पर ही पेंशन अधिकृति जावेगी । इस संबंध मे नियम 107 में वर्णित प्रकिया पुनः पूरी करने की आवश्यकता नहीं है ।
3.	पात्र पारिवारिक पेंशनर के अपात्र होने पर विधवा/तलाकशुदा पुत्री ने तत्कालीन नियमों के अन्तर्गत निर्धारित सीमा से अधिक आयु/आय होने के कारण पारिवारिक पेंशन के लिए आवेदन नहीं किया या उसे पेंशन विभाग द्वारा पारिवारिक पेंशन अधिकृत नहीं की गई, ऐसी विधवा/परित्यक्ता पुत्री दिनांक 04.09.2012 से पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने हेतु पात्र है अथवा नहीं ?	जिन विधवा/तलाकशुदा पुत्री ने तत्कालीन नियमों के अन्तर्गत पारिवारिक पेंशन के लिये अपात्र होने के कारण आवेदन नहीं किया था, यदि ऐसी विधवा / तलाकशुदा पुत्री अधिसूचना दिनांक 04.09.2012 के अन्तर्गत पारिवारिक पेंशन के लिये पात्र हो गई है तो उन्हें नियमानुसार पारिवारिक पेंशन अधिसूचना दिनांक 04.09.2012 के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है ।
4.	एक बार पारिवारिक बन्द होने के बाद अर्थात पारिवारिक पेंशन के लिये सभी परिजनों की पात्रता समाप्त होने के बाद किसी अन्य तिथि से पुत्र/पुत्री से विकलांग हो जाता है या कोई पुत्री विधवा हो जाती है या तलाक प्राप्त कर लेती है तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होने की तिथि से पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिये पात्र है या नहीं ?	जिन मामलों में तत्कालीन नियमों के अन्तर्गत पारिवारिक पेंशन बन्द हो गई थी, ऐसे मामलों में यदि उस परिवार का कोई सदस्य अधिसूचना दिनांक 04.09.2012 के अन्तर्गत पारिवारिक पेंशन के लिये पात्र हो गया है तो उसे अधिसूचना दिनांक 04.09.2012 के अन्तर्गत नियमानुसार पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की जा सकती है ।
5.	इस परिपत्र के प्रावधान उन विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों या विकलांग पुत्रों/पुत्रियों के मामले में भी लागू है या नहीं ? जिन मामलों में पारिवारिक पेंशन राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के लागू होने की तिथि दिनांक 01.10.1996 से पूर्व बन्द हो गई थी ?	जिन मामलों पारिवारिक पेंशन राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के लागू होने की तिथि दिनांक 01.10.1996 से पूर्व बन्द हो गई थी, ऐसे मामलों में यदि उस परिवार का कोई सदस्य अधियूचना दिनांक

निदेशक